उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या- 39/2025/3671304(1) /78-2-2025-ई-253032

लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य सी.एस.सी. 3.0 योजना अन्तर्गत जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ अनुबन्धित डी.एस.पी. संस्थाओं से विस्तारित पीबीजी डीईजीएस सोसाइटी के पक्ष में प्राप्त किये जाने विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3671304/78-2-2025-ई-253032, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के प्रस्तर-3 की तीसरी पंक्ति में लिपिकीय त्रुटिवश **"दिनांक 31 मार्च, 2026 तक"** के स्थान पर **"आगामी तीन माह की अवधि में पूर्ण की जाने तथा साथ ही"** टंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश संख्या-3671304/78-2-2025-ई-253032, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के प्रस्तर-3 की तीसरी पंक्ति में टंकित **"आगामी तीन माह की अवधि में पूर्ण की जाने तथा साथ ही"** के स्थान पर **"दिनांक 31 मार्च, 2026 तक"** पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश की शेष वयवस्था एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

राहुल सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।

2- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।

3- डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को सम्बन्धित जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के पक्ष में विस्तारित पी.बी.जी. उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in